भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2278

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि

2278. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) समुदायों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति द्वारा आरक्षित पदों पर रिक्तियों के बैकलॉग के आलोक में सरकारी रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के कम प्रतिनिधित्व के संबंध में हाल के प्रतिवेदनों में व्यक्त चिंताओं का समाधान किस प्रकार करने की योजना बना रही है; और

(ग) इन हाशिए पर पड़े समुदायों को ध्यान में रखते हुए कौशल प्रशिक्षण पहलों के लिए आबंटित निधियों का समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों सहित सभी के लिए, विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि को कार्यान्वित कर रही है। इन कार्यक्रमों का विवरण **https://dge.gov.inschemes_programmes** पर देखा जा सकता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय देश भर में 25 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्रों (एनसीएससी-एससी/एसटी) के नेटवर्क के माध्यम से "वेलफेयर ऑफ एससी/एसटी योजना" को कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य नौकरी के इच्छुक एससी/एसटी को श्रम बाजार की मांगों के अनुरूप तैयार करने हेतु भर्ती पूर्व प्रशिक्षण, व्यावसायिक परामर्श, करियर सलाह और कम्प्यूटर ट्रेनिग इत्यादि प्रदान करके उनकी नियोजनीयता को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) कौशल भारत मिशन (एसआईएम) कार्यान्वित कर रहा है जो उपेक्षित समुदायों सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल विकास केन्द्रों/संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कौशल, पुन कौशल तथा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने और उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करके सक्षम बनाना है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2014-2015 में अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एससी) और 2017-2018 में पिछड़े वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-बीसी) शुरू किया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय अपने तौर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) द्वारा आवधिक ऋण योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई), स्व-सहायता समूहों के लिए सूक्ष्म ऋण योजना (एमसीएफ), आदिवासी शिखा ऋण योजना आदि जैसी आय सृजन कार्यकलापों के लिए योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियों सहित नई रिक्तियों का सृजन और उन्हें भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे पिछली बकाया रिक्तियों की पहचान करने के लिए एक आंतरिक समिति गठित करें और ऐसे बैकलॉग के कारकों को दूर करने के उपाय शुरू करें तथा उन्हें विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से भरें।

जहां तक उपेक्षित समुदायों को निधियां जारी करने का संबंध है, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) ने एक ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन सूचना और निर्णय समर्थन प्रणाली स्थापित की है जिसका उद्देश्य भारत सरकार की सभी कल्याण योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधियों का पता लगाने के साथ-साथ ट्रेजरी और बैंक इंटरफेस के माध्यम से कार्यक्रम कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर व्यय सूचना प्रदान करना है।

*****